खाद्य तेल के उत्पादन में कमी

*145. श्री नरेन्द्र मोहन:
श्री कपिल सिब्बल:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में खाद्य तेल के उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत का खाद्य तेल उद्योग विदेशों से होने वाले खाद्य तेलों के आयात के कारण संकटग्रस्त हो चुका है, और क्या घरेलू खाद्य तेल उत्पादक उद्योग ने इस संकट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संकट के कारणों तथा प्रभाव के संबंध में किये गये आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास खाद्य तेल उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कोई योजना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) तेल वर्ष 1996-97 में हुए खाद्य तेलों के उत्पादन की तुलना में तेल वर्ष 1997-98 में हुए खाद्य तेलों के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ख) मुख्यतया प्रतिकूल मौसम के कारण रबी मौसम में सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा था और चक्रवात के कारण आन्ध्र प्रदेश में खरीफ मौसम में मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचा था और इनकी वजह से उत्पादन में गिरावट आई थी।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों का आयात किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और ये अभ्यावेदन विशेष रूप से विलायक निष्कर्षित तेल उद्योग से प्राप्त हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परिष्कृत खली के मूल्य में काफी गिरावट आने के कारण विलायक निष्कर्षण तेल उद्योग पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) खाद्य तेल उद्योग 35% से भी कम क्षमता का उपयोग कर रहा है। इसका मुख्य कारण कच्चे माल की कमी होना है। कृषि मंत्रालय ने तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1986 में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की थी।

वेश्यावृत्ति को मान्यता प्रदान किया जाना

*146. श्रीमती सरोज दुबे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेश्यावृत्ति के पेशे को मान्यता देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति तथा उससे उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए उठाये जाने वाले संभावित कदम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) सरकार समाज में वेश्यावृत्ति की बुराई के प्रति बहुत चिंतित है तथा सरकार ने वाणिज्यिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं तथा बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें पुनः संगठित करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना बनाई है। यह कार्य योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीड़ित महिलाओं तथा बच्चों के बचाव, पुनर्वास तथा पुनर्संगठन हेतु योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के लिए परामर्श एवं समन्वय प्रक्रिया तंत्र तैयार करने के लिए उन्हें भेज दी गयी है। सरकार ने दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-2 केवल महिला पुलिस स्टेशन तथा महिला पुलिस कक्षों की स्थापना, अत्याचार प्रवण क्षेत्रों का पता लगाना और ऐसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना, बलात्कार के मामलों की सुनवाई ऐसे न्यायालयों में करना, जहां महिला मजिस्ट्रेट हो, पुलिस बलों में महिलाओं की अधिक भर्ती, महिलाओं के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, अभिरक्षा में महिलाओं के साथ हिंसा के दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारियों को अभिलम्ब एवं निवारक दण्ड देना, महिलाओं की हत्या बलात्कार तथा उन पर अत्याचार आदि के मामलों में जांच के लिए अनिवार्य रूप से समय-सीमा निर्धारित करना, शामिल हैं। राष्ट्रीय "एड्स" नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार वाणिज्यिक यौन कर्मियों में एच०आई०वी०/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने